



राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक: प.3(92)(28)न्याय/संआज/ई-00069/373

दिनांक:- यथाहस्ताक्षर

आदेश

पुलिस आयुक्त, जयपुर के पत्रांक पुआज/2026/16765 दिनांक 07.06.2026 के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.06.2026 से सामुहिक अतिक्रमण हटाया जाना प्रस्तावित है। इस कारण विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध-प्रदर्शन करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम व वाट्सएप इत्यादि पर टिप्पणियों, वीडियो एवं फोटो इत्यादि प्रसारित होने से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना से दिनांक 07.06.2026 को रात्रि 12:00 AM से दिनांक 08.06.2026 को रात्रि 12:00 AM तक इंटरनेट पर प्रतिबंध किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः पुलिस आयुक्तालय जयपुर क्षेत्र के जिला जयपुर उत्तर के समस्त थाना क्षेत्र:- पुलिस थाना रामगंज, गलता गेट, माणकचौक, सुभाषचौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालुपुरा, संजयसर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टाबस्ती, विद्याधर नगर, जयसिंहपुरा खोर एवं जिला जयपुर पूर्व के समस्त थाना क्षेत्र:- बस्सी, कानोता, तुंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, जामडोली, एस.एम.एस अस्पताल, गांधीनगर, लालकोठी, मोती डुंगरी, एयरपोर्ट जयपुर, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल बजाज नगर, खो-नागोरियान, सांगानेर, प्रताप नगर रामनगरिया, मालपुरा गेट में कानून व्यवस्था की स्थिति के मध्यनजर रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules-2017, दिनांक 07.08.2017 के नियम 2(1) के तहत गृह (गुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ 35(1) होम-9/2006 पार्ट दिनांक 02.09.2017 एवं आदेश क्रमांक प.35 (4) गृह-9/2017 पार्ट-2 दिनांक 23.11.2021 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में, मैं **वे. सरवण कुमार, संभागीय आयुक्त, जयपुर**, जयपुर संभाग के पुलिस आयुक्तालय जयपुर क्षेत्र के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना डुंगरी, जयपुर के आस-पास के क्षेत्र को छोड़कर उक्त वर्णित जिला जयपुर उत्तर व जिला जयपुर पूर्व के समस्त थाना क्षेत्रों की सेवाएँ 2G/3G/4G/5G DATA (Mobile Internet), Internet Services- Bulk SMS/ MMS, Whatsapp, Facebook, Twitter & Other Social Media Services through Internet Service providers (Except Voice Calls) पर दिनांक 07.06.2026 को रात्रि 12:00 AM से दिनांक 08.06.2026 को रात्रि 12:00 AM तक सम्पूर्ण रूप से नेटबंदी लागू करता हूँ।

मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवम् अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति, उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो यह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 07.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(वे. सरवण कुमार)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by V. Saravana Kumar
Designation : Divisional
Commissioner
Date: 2026.06.07 20:01:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22690278

M e-Sign





राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक: प.3(92)(28)न्याय/संआज/374

दिनांक:—यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर को गृह (ग्रुप-9) विभाग की परामर्शदात्री दिनांक 15.12.2021 के क्रम में भेज कर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलिकॉम कम्पनियों/ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जाये।
5. जिला कलक्टर, जयपुर ।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो आदि को पालनार्थ मार्फत पुलिस आयुक्त, जयपुर ।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर

RajKaj Ref No.:
22690278

M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by V/Saravana Kumar
Designation : Divisional
Commissioner
Date: 2026.06.07 20:01:25 IST
Reason: Approved